

1  
न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती सुमन देवी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र टीआई संख्या / 2020 / 46

सुन्दर सिंह गुर्जर पुत्र श्री कन्हैया लाल गुर्जर जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।

-प्रार्थी

बनाम

1. प्रभु राम पुत्र श्री बिरदा चन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दहमी कला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
2. रामकरण पुत्र श्री बिरदा चन्द जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दहमी कला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त।
3. हनुमान पुत्र श्री बिरदा चन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम दहमी कला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त।
4. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा



निर्णय

दिनांक: 23.12.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि :- प्रार्थी एवम् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या (नया) 244 व (पुराना) 210 के खसरा नंबर 508 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 509 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 513 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 514 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 515 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 516 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता 06, कुल रकबा 2.13 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमी कला, पटवार हल्का दहमी कला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर व जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/15 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 01 का 3/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 5/12 हिस्सा, अप्रार्थी



सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय



संख्या 03 का 13/60 हिस्सा संयुक्त अविभाजित है उसी हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे है। तथा उक्त कृषि भूमि का प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के मध्य आज दिन तक विधिवत् कब्जे काश्त के अनुसार तकासमा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितूर आया हुआ है तथा आपस में मिलीभगत नाजायज सांठ-गांठ कर रखी है एवं प्रार्थी से द्वेषता रखते है जिससे व वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति, संस्था आदि को विक्रय हस्तांतरण, रहन, बैय, बख्शीश आदि कर जबरन बेदखल करने व उक्त भूमि पर निर्माण आदि कर उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित आदि कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि को हड़पक रने पर आमदा हो रहे है जिसका कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसी नियत से दिनांक 15.02.2020 को अप्रार्थीगण अपने साथ 15-20 अन्य व्यक्तियों को लेकर एक राय होकर वादग्रस्त भूमि पर आये तथा उक्त भूमि पर निर्माण आदि करने एवं उक्त भूमि को विक्रय हस्तांतरण, रहन, बैय, बख्शीश आदि करने की बातचीत करने लगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उक्त गैर कानूनी कृत्य करने हेतु मना किया तथा उक्त भूमि का तकासमा करने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण व उनके साथ आये व्यक्ति प्रार्थी से नाराज हो गये तथा प्रार्थी के साथ गाली गलौच की एवं प्रार्थी को उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमदा हुये जिसका प्रार्थी ने विरोध किया तो मौके पर हल्ला सुनकर आस-पास के काश्तकारो व राह चलते व्यक्तियों की काफी संख्या में भीड एकत्रित हो गई, जिससे अप्रार्थीगण व उनके साथ आये अन्य व्यक्ति मौके पर से चले गये लेकिन जाते समय प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि वे शीघ्र ही मौका प्राप्त कर उक्त भूमि पर निर्माणादि कर उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति, संस्था इत्यादि को विक्रय, हस्तांतरण, बैय, बख्शीश कर प्रार्थी को जबरन बेदखल कर कब्जा कर कब्जा अन्य व्यक्ति, संस्था इत्यादि को संभला कर उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करके रहेंगे तथा तकासमा करने हेतु साफ इन्कार कर दिया जिसका कि उन्हें किसी प्रकार का

कलक्टर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति, संस्था आदि को विक्रय, हस्तांतरण, बैय, रहन, बख्शीश आदि नहीं करें करावे तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माणादि नहीं करे करावें तथा प्रार्थी को उक्त भूमि के

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय



शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने व काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा व रुकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे करावे तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि के स्वामित्व हस्तांतरण का कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं करें करावें एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें करावें और स्थिति यथावत बनाये रखें।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टीआई के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी खाता संख्या नया 244 पुराना 210 की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन (रजिस्टर्ड एडी) तलब किया गया। व प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात की मौका एवम् रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपरिथित रहने पर उक्त के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत तकासमा हेतु प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते हैं जिससे मूलवाद बहुल्यता न बढ़ें।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है तथा प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात कृषि भूमि खाता संख्या (नया) 244 व (पुराना) 210 के खसरा नंबर 508 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 509 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 513 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 514 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 515 रकबा 0.0100 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 516 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल कित्ता 06, कुल रकबा 2.13 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमी कलां, पटवार हल्का दहमी कला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर व जिला जयपुर के मौका एवम् रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
जयपुर शहर द्वितीय